कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/ 3331 भोपाल, दिनांक 09/12/19

— आदेश —

श्री ओ0पी0पवांर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक झाबुआ द्वारा विपणन सहकारी संस्था मर्या0 जिला झाबुआ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रभार के दौरान संस्था की नगदी राशि आहरित कर उक्त राशि कैशबुक में जमा नही कर एवं संस्था को राशि रू0 5,90,000/— की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है तथा अग्रिम दिये जाने, वसूल किये जाने एवं कैशबुक जैसे अभिलेखो को तातारीख व्यवस्थित नही रखकर आर्थिक अनियमितताये की गई है ।, इस प्रकार श्री पवांर के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई । श्री पवांर का उक्त कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का घोर उल्लघंन है।

अतः म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत श्री ओ0पी0पवांर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक झाबुआ को प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये, विभागीय जांच की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खण्डवा नियत किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री पवांर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ म0प्र0

क्रमांक/स्थापना/10/वि.जां./2019/ 3331 भोपाल, दिनांक 09/12/19

प्रतिलिपि—

01— प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
02— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी सहकारिता म0प्र0शासन भोपाल।
03— संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर ।
04— उप आयुक्त सहकारिता जिला झाबुआ/खण्डवा ।
05— सहायक आयुक्त सहकारिता, आई.टी.शाखा मुख्यालय को विभागीय पोटर्ल में अपलोड करने हेतु।
06— स्थापना 02, मुख्यालय ।
07— श्री ओ0पी0पवांर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा—उपायुक्त, सहकारिता झाबुआ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ म0प्र0